International Journal of Advance and Applied Research
Peer Reviewed | International Open Access Journal
ISSN: 2347-7075 | Impact Factor – 8.141 | *Website:* https://ijaar.co.in/
Volume-13, Issue-4 | March – April 2026

Original Article

भारतीय संविधान और महिला सशक्तिकरण : स्वतंत्रता के बाद का विकास

डॉ. रश्मि रानी

इतिहास विभाग

वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा, बिहार

Manuscript ID:
IJAAR-130432
ISSN: 2347-7075
Impact Factor – 8.141

Volume - 13
Issue - 4
March – April 2026
Pp. 203 - 207

Submitted: 16 Mar. 2026
Revised: 07 Apr. 2026
Accepted: 09 Apr. 2026
Published: 10 Apr. 2026

Corresponding Author:
डॉ. रश्मि रानी

Quick Response Code:

Website: https://ijaar.co.in/

DOI: 10.5281/zenodo.21469222

DOI Link:
https://doi.org/10.5281/zenodo.21469222

सारांश:

महिला सशक्तिकरण समकालीन भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक एवं विकासात्मक अवधारणा है, जिसका मूल उद्देश्य महिलाओं को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समान अधिकार, अवसर तथा सम्मान प्रदान करना है। भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति ऐतिहासिक रूप से अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक कारणों से प्रभावित रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय संविधान ने महिलाओं को समान नागरिक का दर्जा प्रदान करते हुए उनके अधिकारों की रक्षा एवं उन्नति के लिए एक सुदृढ़ संवैधानिक आधार निर्मित किया। संविधान की प्रस्तावना में निहित समानता, न्याय एवं स्वतंत्रता के आदर्शों के साथ-साथ विभिन्न मौलिक अधिकारों एवं राज्य के नीति निदेशक तत्वों ने महिलाओं के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त किया।

संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 39 तथा 42 जैसे प्रावधान महिलाओं को समानता, रोजगार में समान अवसर, समान कार्य के लिए समान वेतन तथा मातृत्व संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता के पश्चात सरकार द्वारा बनाए गए विभिन्न कानूनों, नीतियों एवं कल्याणकारी योजनाओं ने महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान की है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व के क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी स्वतंत्र भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है।

पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था ने राजनीतिक क्षेत्र में उनकी सक्रिय सहभागिता को बढ़ावा दिया है। इसी प्रकार बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, स्वयं सहायता समूह तथा महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने वाली योजनाओं ने महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

यद्यपि महिला सशक्तिकरण की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, फिर भी लैंगिक असमानता, घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, कार्यस्थलों पर भेदभाव, असमान वेतन तथा शिक्षा एवं संसाधनों तक सीमित पहुँच जैसी समस्याएँ आज भी विद्यमान हैं। विशेष रूप से ग्रामीण एवं वंचित वर्गों की महिलाओं को अनेक सामाजिक एवं आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए महिला सशक्तिकरण को केवल कानूनी या नीतिगत प्रावधानों तक सीमित न रखते हुए सामाजिक चेतना, शिक्षा, आर्थिक स्वावलंबन तथा सकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण से भी

International Journal of Advance and Applied Research
Peer Reviewed | International Open Access Journal
ISSN: 2347-7075 | Impact Factor – 8.141 | *Website:* https://ijaar.co.in/
Volume-13, Issue-4 | March – April 2026

जोड़ना आवश्यक है।

प्रस्तुत आलेख में भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक प्रावधानों, स्वतंत्रता के पश्चात महिला सशक्तिकरण के विकास, सरकारी प्रयासों तथा वर्तमान चुनौतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। साथ ही यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि महिला सशक्तिकरण केवल महिलाओं के विकास का विषय नहीं, बल्कि एक समतामूलक, न्यायपूर्ण एवं प्रगतिशील समाज के निर्माण की अनिवार्य शर्त है।

मुख्य शब्द : भारतीय संविधान, महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता, संवैधानिक अधिकार, सामाजिक न्याय, महिला अधिकार, राजनीतिक सहभागिता, आर्थिक आत्मनिर्भरता, महिला विकास, लोकतांत्रिक मूल्य।

Creative Commons

OPEN ACCESS

Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0)

This is an open access journal, and articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0), *which permits others to remix, adapt, and build upon the work non-commercially, provided that appropriate credit is given and that any new creations are licensed under identical terms.*

How to cite this article:

डॉ. रश्मि रानी (2026). भारतीय संविधान और महिला सशक्तिकरण : स्वतंत्रता के बाद का विकास. International Journal of Advance and Applied Research, 13(4), 203 - 207. https://doi.org/10.5281/zenodo.21469222

प्रस्तावना:

किसी भी राष्ट्र की प्रगति और विकास का वास्तविक मापदण्ड वहाँ की महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा राजनीतिक स्थिति से निर्धारित होता है। जिस समाज में महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, संपत्ति, निर्णय-निर्माण तथा सार्वजनिक जीवन में समान अवसर प्राप्त होते हैं, वह समाज अधिक विकसित, लोकतांत्रिक तथा प्रगतिशील माना जाता है। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना किसी भी राष्ट्र के समग्र विकास की कल्पना नहीं की जा सकती।

भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति ऐतिहासिक रूप से अनेक उतार-चढ़ावों से गुज़री है। वैदिक काल में महिलाओं को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था, किन्तु समय के साथ सामाजिक रूढ़ियों, कुरीतियों तथा पितृसत्तात्मक व्यवस्था के कारण उनकी स्थिति में गिरावट आई। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, अशिक्षा, संपत्ति के अधिकारों से वंचित होना तथा आर्थिक निर्भरता जैसी परिस्थितियों ने महिलाओं के सामाजिक विकास को प्रभावित किया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय संविधान ने महिलाओं को समान नागरिक का दर्जा प्रदान करते हुए उनके अधिकारों की रक्षा तथा विकास के लिए एक मजबूत संवैधानिक आधार तैयार किया। संविधान निर्माताओं ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि महिलाओं को केवल कानूनी समानता ही नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में भी समान अवसर प्राप्त हों। इसी उद्देश्य से संविधान में अनेक ऐसे प्रावधान किए गए, जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा तथा उनके सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

आज महिलाएँ शिक्षा, विज्ञान, प्रशासन, राजनीति, न्यायपालिका, सेना, खेल, उद्योग तथा उद्यमिता जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उल्लेखनीय उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। इसके बावजूद लैंगिक असमानता, हिंसा, भेदभाव, असमान वेतन

International Journal of Advance and Applied Research
Peer Reviewed | International Open Access Journal
ISSN: 2347-7075 | Impact Factor – 8.141 | *Website:* https://ijaar.co.in/
Volume-13, Issue-4 | March – April 2026

तथा संसाधनों तक सीमित पहुँच जैसी समस्याएँ आज भी विद्यमान हैं। इसलिए महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी एवं व्यापक बनाने की आवश्यकता बनी हुई है।

भारतीय संविधान और महिला अधिकार:

भारतीय संविधान महिलाओं को समानता, स्वतंत्रता, गरिमा तथा न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करने का प्रयास करता है। संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अवसरों की समानता को राष्ट्र के मूल आदर्शों के रूप में स्वीकार किया गया है।[1]

संविधान का अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता तथा विधि के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है।[2] यह प्रावधान महिलाओं और पुरुषों दोनों को समान कानूनी अधिकार प्रदान करने की आधारशिला है। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को निषिद्ध करता है। साथ ही अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं एवं बच्चों के हित में विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है, जिससे महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिल सके।[3]

अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार एवं सेवाओं में समान अवसर की व्यवस्था सुनिश्चित करता है।[4] इसके अतिरिक्त राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 39 पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था तथा समान आजीविका के अवसरों पर बल देता है।[5] अनुच्छेद 42 राज्य को महिलाओं के लिए मानवीय कार्य परिस्थितियों तथा मातृत्व सहायता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है।[6]

इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 51(क)(ई) के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का यह मूल कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि वह महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करे।[7] यह प्रावधान केवल कानूनी सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान और समानता की भावना को भी प्रोत्साहित करता है।

इस प्रकार भारतीय संविधान महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के साथ-साथ उनके सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए एक व्यापक एवं सुदृढ़ आधार प्रदान करता है। यही कारण है कि भारतीय संविधान को विश्व के उन प्रगतिशील संविधानों में स्थान प्राप्त है, जिन्होंने लैंगिक समानता और महिला अधिकारों को विशेष महत्व प्रदान किया है।

स्वतंत्रता के बाद महिला सशक्तिकरण का विकास:

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा के लिए अनेक महत्वपूर्ण कानून बनाए गए। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम तथा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित विधानों ने महिलाओं को कानूनी सुरक्षा प्रदान की।[6]

शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आज महिलाएँ चिकित्सा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, प्रशासन, न्यायपालिका, सेना, खेल तथा उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। आर्थिक

International Journal of Advance and Applied Research
Peer Reviewed | International Open Access Journal
ISSN: 2347-7075 | Impact Factor – 8.141 | *Website:* https://ijaar.co.in/
Volume-13, Issue-4 | March – April 2026

आत्मनिर्भरता ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति और निर्णय क्षमता को भी मजबूत किया है।

राजनीतिक क्षेत्र में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधनों के माध्यम से स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया, जिससे पंचायतों और नगर निकायों में उनकी भागीदारी बढ़ी तथा महिला नेतृत्व को नई पहचान मिली।[7]

महिला सशक्तिकरण में सरकारी योजनाओं की भूमिका:

महिलाओं के विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर अनेक योजनाएँ संचालित की गई हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, सुकन्या समृद्धि योजना तथा स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने वाली योजनाओं ने महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।[8]

विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों ने महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है। इन समूहों के माध्यम से महिलाएँ स्वरोजगार, लघु उद्योग तथा उद्यमिता के क्षेत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं।

वर्तमान चुनौतियाँ:

यद्यपि महिलाओं की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, फिर भी अनेक चुनौतियाँ आज भी विद्यमान हैं। लैंगिक हिंसा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, कार्यस्थल पर भेदभाव, असमान वेतन तथा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुँच महिला सशक्तिकरण के मार्ग में बाधाएँ उत्पन्न करती हैं।

विशेषकर ग्रामीण तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिलाओं को आज भी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए केवल कानूनी प्रावधान पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि सामाजिक चेतना, शिक्षा तथा सकारात्मक मानसिकता का विकास भी आवश्यक है।

निष्कर्ष:

भारतीय संविधान ने महिलाओं को समानता, स्वतंत्रता, गरिमा तथा न्याय पर आधारित जीवन का संवैधानिक अधिकार प्रदान करते हुए महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सुदृढ़ आधार निर्मित किया है। संविधान के विभिन्न प्रावधानों एवं राज्य की कल्याणकारी नीतियों ने महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक अवसर उपलब्ध कराए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महिलाओं की शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा निर्णय-निर्माण की प्रक्रियाओं में भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो भारतीय लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

इसके बावजूद समाज में लैंगिक असमानता, हिंसा, दहेज प्रथा, कार्यस्थलों पर भेदभाव तथा संसाधनों तक असमान पहुँच जैसी समस्याएँ आज भी विद्यमान हैं। विशेष रूप से ग्रामीण एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिलाओं को अनेक सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए महिला सशक्तिकरण को केवल कानूनी अधिकारों तक सीमित नहीं रखा जा सकता,

International Journal of Advance and Applied Research
Peer Reviewed | International Open Access Journal
ISSN: 2347-7075 | Impact Factor – 8.141 | *Website: https://ijaar.co.in/*
Volume-13, Issue-4 | March – April 2026

बल्कि इसके लिए शिक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक जागरूकता तथा सकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण का विकास भी आवश्यक है।

अतः यह कहा जा सकता है कि महिला सशक्तिकरण केवल महिलाओं के विकास का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह एक समतामूलक, न्यायपूर्ण और प्रगतिशील समाज के निर्माण की आधारशिला है। जब महिलाओं को समान अवसर, सम्मान, सुरक्षा और निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्राप्त होगी, तभी भारतीय संविधान में निहित समानता, न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों की वास्तविक स्थापना संभव हो सकेगी तथा राष्ट्र के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।

संदर्भ सूची:

1. भारत का संविधान, भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली, 2024, अनुच्छेद 14, 15, 16, 39 एवं 42, पृ. 12-18।
2. बासु, डी. डी., *भारत के संविधान का परिचय*, लेक्सिसनेक्सिस प्रकाशन, नई दिल्ली, 2019, पृ. 85-102।
3. जैन, एम. पी., *भारतीय संविधान विधि*, वाधवा एंड कंपनी, नागपुर, 2018, पृ. 214-236।
4. अग्रवाल, जी. के., *भारतीय शासन और राजनीति*, एस. चाँद एंड कंपनी, नई दिल्ली, 2020, पृ. 167-182।
5. शर्मा, रामविलास, *भारतीय समाज और नारी प्रश्न*, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2015, पृ. 54-71।
6. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, *वार्षिक प्रतिवेदन*, नई दिल्ली, 2023-24, पृ. 32-47।
7. यूनिसेफ इंडिया, *भारत में महिला एवं बाल विकास रिपोर्ट*, नई दिल्ली, 2023, पृ. 18-29।
8. राष्ट्रीय महिला आयोग, भारत सरकार, *वार्षिक प्रतिवेदन*, नई दिल्ली, 2023-24, पृ. 41-56।